

दूरभाष : 25686906

पीओ सं. PO No. 12 / 2017

मुख्यालय

Headquarters

सीमा सड़क महानिदेशालय

Dte General Border Roads

सीमा सड़क भवन

Seema Sadak Bhawan

रिंग रोड, दिल्ली कैंट

Ring Road, Delhi Cantt

नई दिल्ली - 110010

New Delhi -110010

13202/EE (E/M)/DGBR/E1A

15 Feb 2017

HQ CE (P) Vartak

HQ CE (P) Sampark

PROMOTION-CUM-POSTING ORDER: AEE (E/M) TO EE (E/M)

1. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित सहायक अधिशासी अभियंता (वि० एवं यां०) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिशासी अभियंता (वि० एवं यां०) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और उनके नाम के सामने दर्शाई गई इकाई में तैनात किया जाता है:-

Based on the recommendations of DPC, the under mentioned Assistant Executive Engineer (E & M) is promoted to the grade of Executive Engineer (E & M) with effect from the date he assume the charge of the post and posted to unit mentioned against his name:-

| जीओ सं० रैंक व नाम GO No. Rank and Name | स्थानांतरण / Posted | | अभ्युक्तियों/ Remarks |
|---|---------------------|----------|--------------------------|
| | से / From | तक / To | |
| GO-3919N AEE (E/M) Bal Krishan Arya | ESD/ Vik | WBW/ Spk | To move forthwith |

2. अधिशासी अभियंता (वि० एवं यां०) के पद पर सेवा के दौरान, वह सामान्य नियमों के तहत ग्राह्य वेतन बैंड-3 (रु० 15600-39100, रु 6600 ग्रेड वेतन सहित) के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

While employed as Executive Engineer (E & M) he will draw the pay in PB-3 Rs.15600-39100 with Grade pay of Rs 6600/- (pre-revised) as admissible under the normal rules.

Contd...P/2

3. यदि उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासन संबंधी कार्रवाई लम्बित अथवा विचारार्थ है तो इस मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना वह उच्चतर पद ग्रहण नहीं करेंगे। पदोन्नति तभी प्रभावी होगी जब अधिकारी ऐसे किसी मामले में संलिप्त न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी का संलिप्त होना तभी समझा जाएगा यदि सीसीएस (सी सी ए) के नियमों के तहत आरोप पत्र दे दिया गया हो अथवा सेना अधिनियम के अन्तर्गत समरी ऑफ इवीडेंस के आदेश दिए गए हों।

In case vigilance/disciplinary action is either pending or contemplated against the above mentioned individuals, they will NOT be positioned in the higher post without prior approval of this HQ. Promotion will be effected only if the individuals are not involved in any such cases. It is clarified that cognizance of involvement of the offrs will be taken only if Memo of charges have been served on the individuals under CCS (CCA) Rules or S of E have been ordered under Army Act.

4. उपर्युक्त अधिकारी की पदभार ग्रहण रिपोर्ट इस महानिदेशालय के (ई1बी अनुभाग) को निर्धारित प्रारूप में भेज दी जाए।

Charge assumption report of above offrs may please be submitted to this Dte (E1B Sec) on the prescribed proforma.

Authy :- MoD (BR) Note No. 16010/DPC/EE(E&M)/2016-17/E1D dt 27 Oct 16.



(यू एस श्रीवास्तव)

(US Srivastava)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Jt Dir (Admn)

स्था. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Offg Jt Dir (Pers)

कृते महानिदेशक सीमा सड़क

For Dir Gen Border Roads

प्रतिलिपि /Copy to :-

MoD (BR Wing), PAO (GREF) C/o GREF Centre, ADG (East), ADG (NW). ESD, WBW

आंतरिक /Internal :-

DG's Sectt, ADG's Sectt, DDG (Pers), DGBR / E1B, DGBR / E1D, DGBR/EDP Cell (for uploading in 'BRO Website'), Guard Files & Notice Board